न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 359 / 2016 (2016 / 00773)

हनुमानदास चेला रघुवीरदास महाराज निवासी मन्दिर गणेश जी महाराज बड़ी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

——वादी

◆ बनाम ◆

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राज. ।

—— प्रतिवादी

(वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,209 राज.काश्तकारी अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

दिनांक 15.12.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जूनियां की जमाबन्दी सं. 2068—71 की निम्नानुसार आराजीयात है:—

खाता स. नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
809—818	2601	0.09	चाही2.
810—819	2602	0.29	गै.मु. खडडा
	2609	1.00	चाही2
	कुल 2	कुल रकबा 1.20	

वाद वर्णित आराजीयात रघुवीरदास पुत्र भगवान दास साधू निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर के स्वामित्व , आधिपत्य की है। रघुवीरदास की मृत्यु दिनांक 10.11.2014 को हो चुकी है। उनके जीवनकाल में ही उन्होने वादी की सेवा चाकरी सेवा सुशरा से संतुष्ट होकर महन्ताईनामा उनके जेष्ठ शिष्य वादी के हक में दिनांक 7.6.2009 को निष्पादित करवाया एंव ततपश्चात उन्होने वाद वर्णित आराजीयात की वसीयत वादी के हक में दिनांक 17.6.2009को तहरीर 100 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित करके एंव गवाह के रूबरू हस्ताक्षर करके एंव गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नोटरी से प्रमाणित करवायी थी। वादी के गुरू रघुवीरदास की मृत्यु के पश्चात वाद वर्णित आराजीयात वसीयत दिनांक 17.6.2009 के द्वारा वादी के कब्जे काश्त खातेदारी मालिकाना हक स्वामित्व , आधिपत्य में चली आ रही है। वादी के अलावा दीगर व्यक्ति का कानून हक अधिकार नहीं है। वाद वर्णित आराजीयात वादी के गुरू रघुवीर दास पुत्र श्री भगवान दास साधू की स्वअर्जित व खरीदशुदा है। वर्तमान खसरानम्बर 2602,2603 के पुराने खसरा नम्बर 1247 / 15 रकबा 8बीघा व खसरानम्बर 2601 के पुराने खसरा नम्बर 1247 / 14 रकबा 11 बीस्वा है वादी ने प्रतिवादी स. 1 व हल्का पटवारी को वादवर्णित आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में वसीयत दिनांक 17.6.2009 के द्वारा वादी को खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नामान्तकरण करने हेतु दिनांक 9.12. 2015 को दी एंव तत्पश्चात प्रतिवादी स. 1 को निवेदन करता चला आ रहा है। परन्तु कोई सुनवाई नहीं की एंव दिनांक 20.7.2016 को प्रतिवादी स. 1 ने कहा कि वसीयत से न्यायालयमें वाद दायर करके खातेदारी प्राप्त कर लो । मै वसीयत से नामान्तकरण दर्ज नही करुगां । वसीयत दिनांक 17.6.2006 के द्वारा वादी को स्व. रघुवीरदास के चेला एंव ज्येष्ठ सदस्य का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करकें खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना [illegible] पेश करना आवश्यक है। अतः वादी का न्यायोचित एंव आवश्यक है। अतः [illegible] वाद स्वीकार कर डिकी किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

आज प्रशासन गांवों के संग शिविर जूनियां में पत्रावली पेश की गई । गिरदावर से रिपोर्ट ली गई । जिससे पाया गया कि रघुवीर दास ने अपने जीवनकाल में अपंजीकृत वसीयत हनुमान दास के हक में कर दी। रघुवीर दास की मृत्यु हो चुकी है मुताबिक मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर रघुवीर दास के स्थान पर हनुमानदास चेला के हक में वसीयत की गई है। प्रतिवादी द्वारा सहमति का जवाब प्रस्तुत किया है। अतः तनकी कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः वादी उपस्थित है, उन्हे सुना गया । वादी ने बताया कि उसके पक्ष में वसीयत हो रखी है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। वारीसान का सजरा की छायाप्रति संलग्न है। जिससे वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 10.11.14 को हो गई है। अतः वसीयत प्रभावी हो गई है । वसीयत के आधार पर दावा डिक्री किया जाना फरमावें।

पत्रावली का उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया । वादी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वसीयतनामा महन्त रघुवीरदास महात्यागी शिष्य श्री भगवानदास निवासी गणेशबडी जूनियां तहसील द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत की है जो अपंजीकृत है। वसीयत कर्ता की मृत्यु हो चुकी है। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम जूनियां की जमाबन्दी स. 2068–71 के खाता स. नया–पुराना 809–818 खसरा नम्बर 2601 रकबा 0.09 है. किस्म चाही.2 एंव खाता स. नया–पुराना 810–819 खसरानम्बर 2602 रकबा 0.29 है. गै.मु.खडडा व खसरा नम्बर 2609 रकबा 1.00 किस्म चाही 2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.20 है. का वादी को खातदेार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय प्रशासन गांवो के संगं अभियान मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः– विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

हनुमानदास चेला रघुवीरदास महाराज निवासी मन्दिर गणेश जी महाराज बडी जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर।

———वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज. ।

——— प्रतिवादी

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,188राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बरः– राजस्व वाद 359 /2016 (2016/00773)

निर्णय दिनांकः– 15.12.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जूनियां की जमाबन्दी स. 2068–71 के खाता स. नया–पुराना 809–818 खसरा नम्बर 2601 रकबा 0.09 है. किस्म चाही.2 एंव खाता स. नया–पुराना 810–819 खसरानम्बर 2602 रकबा 0.29 है. गै.मु.खडडा व खसरा नम्बर 2609 रकबा 1.00 किस्म चाही 2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.20 है. का वादी को खातदेार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जा रहा हैं। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करें।

यह आज तारीख 15.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी केकडी
एवं उपखण्ड अधिकारी/कलक्टर——
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner